



प्रेषक,

कमलेश कुमार,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष गिरि पुत्र श्री रामकृत गिरि, निवासी जनपद-गाजीपुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-13927/प्रो(6)/263/(विश्व स्वास्थ्य दिवस-26), दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी संतोष गिरि पुत्र श्री रामकृत गिरि (दिनांक 07.04.2026 तक बन्दी की आयु लगभग 46 वर्ष) ग्राम-बबुरा, मदनही, थाना-नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। दिनांक 14.05.2001 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते के विवाद के कारण लाइसेन्सी दो नाली बन्दूक, एक नाली बन्दूक, कट्टा व लाठी से हमला करके अनिल गिरि की हत्या कर दी एवं अमीन गिरि को घायल कर दिया। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-171/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-3, गाजीपुर के आदेश दिनांक 10.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.04.2026 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 16 दिन एवं सपरिहार 21 वर्ष, 04 माह, 10 दिन की सजा मात्र भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते के विवाद के कारण 02 लोगो की निर्ममता पूर्वक हत्या करने का अत्यन्त गम्भीर, जघन्य प्रवृत्ति का अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021. संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संतोष गिरि पुत्र रामकृत गिरि की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी संतोष गिरि (बन्दी संख्या-1293/2010) पुत्र श्री रामकृत गिरि, निवासी जनपद-गाजीपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
कमलेश कुमार  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी को सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अभय कुमार त्रिपाठी  
अनु सचिव।